कार्यालय प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट,
एयरपोर्ट रोड,महाराजपुरा,ग्वालियर(म0प्र0)।

क्र. आई.एच.एम.ग्वा./स्था. / होस्टल मैस–138/22 291 ग्वालियर, दिनांकः 29.09.2022.

प्रति,

मैसर्स फेबूलस फूड्स,
पुराना कांच मील, शीतला माता मंदिर के पीछे,
बिरला नगर, तानसेन नगर, ग्वालियर – 474002. म.प्र.

विषयः हॉस्टल मैस में मय सामग्री भोजन प्रदाय करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपकी निविदा दिनांक 21.09.2022 को एल–1 पाई गई है जिसे स्वीकार किया जाता है । अतः आप दिनांक 01/10/2022 से दिनांक 10/06/2023 तक के लिए प्रति छात्र प्रति माह राशि रु.1879–00 की दर से निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिस सम्बंध में सुरक्षा राशि रु. 50,000–00 (पचास हजार मात्र) एवं एक अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर नियम एवं शर्तों के पालन स्वरुप फर्म की मुद्रा व हस्ताक्षर सहित संस्था में दिनांक 15.10.2022 तक अनिवार्यतः जमा करावें।

नियम एवं शर्ते :–

(अ) सामान्य नियम एवं शर्ते

(ब) देयक भुगतान हेतू नियम एवं शर्ते

(अ) सामान्य नियम एवं शर्ते :–

1. संस्था द्वारा प्रदाय राशि रु.1879–00 की दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय सम्मिलित रहेंगे। इसके लिए अलग से अन्य किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
2. खाना बनाने, परोसने एवं किचन की साफ सफाई से संबंधित सभी कार्यों का दायित्व आपका रहेगा। संस्था द्वारा इसके लिए अलग से किसी प्रकार की सुविधा/व्यय देय नही होगा।
3. किसी भी दिन संस्था द्वारा अधिकृत समिति द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का आकलन/निरीक्षण किया जावेगा।
4. समिति द्वारा निरीक्षण/आकलन में खाने की गुणवत्ता के सम्बंध में कच्ची एवं तैयार की हुई सामाग्री को जांचा जायेगा।

होटल प्रबंधन संस्थान • एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर •

5. फर्म को लगाये गये कर्मचारियों को परिचय पत्र बनाकर देने होंगें, जिसके लिये संस्था द्वारा कोई व्यय नही दिया जायेगा एवं छात्रावास मैस में कार्य करते समय कर्मियों को हर समय साथ में परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। किसी भी अन्य व्यक्ति को छात्रावास में अन्दर जाने की अनुमति नही दी जावेगी।
6. श्रम एवं मजदूरी सम्बधी सभी अधिनियमों का पालन फर्म स्वामी द्वारा करना होगा, यदि किसी भी प्रकार का कोई दावा आता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की रहेगी।
7. यह निविदा एक वर्ष के लिए स्वीकृत है यदि काई भी कमी पाई जाती है तो कभी भी स्वीकृत फर्म को पूर्व सूचना देकर अनुबंध को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
8. संस्था द्वारा यदि किसी कारण वश मैस अनुबंध समाप्त करना है, तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जायेगा एवं फर्म द्वारा यदि अनुबंध निरस्त करना है तो तीन माह पूर्व नोटिस प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी भी प्रकार की कोई न्यायालय प्रकरण के सम्बंध में ग्वालियर ही न्याय क्षेत्र मान्य होगा।
10. फर्म द्वारा यदि शैक्षणिक सत्र पूर्व होने के पहले ही अपनी सेवाएं न प्रदान करने/ छोडने की दशा में फर्म द्वारा जमा सुरक्षा राशि राजसात/जब्त की जावेगी।
11. फर्म स्वामी को निविदा में दशाई गई शर्तों के अनूरूप पूर्ण रूपेण पालन करना होगा ।
12. संस्था प्राचार्य को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा कि वह निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त कर सकता है

(स) देयक भुगतान हेतू नियम एवं शर्ते :–

1. देयक साफ सुथरे रुप में बिना किसी काट छाट के प्रति माह पहले सम्पताह के अन्दर होस्टल वार्डन के मार्फत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. देयक निर्धारित प्रारुप जिस में पेन नम्बर फर्म रजिस्ट्रेशन कमांक पूर्ण पता आदि जानकारी सहित होना चाहिये।
3. किसी भी माह के बीच में यदि मैस एक सप्ताह से अधिक समय हेतू बंद रखी जाती हैं, तो देयक मैस से अनुपातिक कटोती की जाकर प्रस्तुत करना होगा।

प्राचार्य

प्रतिलिपि,

1– विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2– **छात्र/छात्रायें** हॉस्टल वार्डन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3– **श्री** विश्वजीत, टीचिंग एसोसियेट, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4– भण्डार/रख रखाव प्रभारीयों की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5– लेखाशाखा, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।